

**Uttar Pradesh Housing and Development Board**  
**List of Residential Properties of Meerut zone for e-auction dated 18.10.2025**

| Sr.No. | Auction ID | Zone Name | city        | Yojna/apartment name            | Property No. | Property Type | Area of Property (Sqm.) | FAR          | Reserve Price | Property Cost | Token Amount | Reservation Category | Rera Reg. No. if Applicable |
|--------|------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| 1      | 52503      | Meerut    | MEERUT      | Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.) | 3/216        | Plot          | 264.50                  | As per norms | 72840.00      | 19266180.00   | 963309       | Unreserved           | N/A                         |
| 2      | 52504      | Meerut    | Bulandshahr | Yojna-2                         | 66/2         | Plot          | 345.28                  | -            | 24740         | 8542227       | 427111       | GENERAL              | N/A                         |
| 3      | 52505      | Meerut    | Bulandshahr | Yojna-2                         | 1/319        | Plot          | 312.81                  | -            | 24640         | 7707638       | 385382       | GENERAL              | N/A                         |

नोट: क्रमांक 3 पर अंकित सम्पत्ति मा0 उच्च न्यायालय के रिट संख्या-18997/2020 के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।                                                                                                                                                                         |
| आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा।                                                                                                                                         |
| यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।           |
| ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल उपलब्ध हैं। रera में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रera पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है।                                                                               |
| परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां हैं जैसे हैं" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।                                                                                                                                                                                               |
| समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्त के 05 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किए जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/समयवृद्धि शुल्क देय होगा।                                             |
| परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय/शैक्षणिक सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन निस्तारित की जाएंगी।                                                                                                                      |
| यदि किसी सम्पत्ति के विरुद्ध एकल बोली प्राप्त होती है तो मा० परिषद की 268वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-268/20 पर अनुमोदित प्रस्ताव के अधीन निर्णय लिया जाएगा।                                                                                                                            |
| आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।                                                                                                                                                                       |
| आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा 30प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो। |